

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

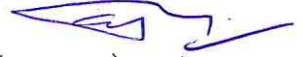
क्रमांक: प.10(8) वित्त/बीमा/2020

जयपुर, दिनांक 24.04.2021

विषय:- राज्य बीमा सेवा अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन चैनल के संबंध में।

इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक: प.4(85)वित्त/राजस्व/93 जयपुर दिनांक 21.05.2021 की निरंतरता में राज्य बीमा सेवा (एक्स-केडर पद) के अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ति हेतु निम्नानुसार चैनल निर्धारित किया जाता है-

क्र.सं.	पदनाम अधिकारी	सेवा का नाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता अधिकारी
1	2	3	4	5	6
राज्य बीमा सेवा (एक्स केडर पद)					
1.	सहायक निदेशक, वित्त (बीमा/पेंशन)	राज्य बीमा सेवा	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग


(धनलाल शेरावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया उपमुख्यमंत्री (डी), राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त(कम्प्यूटर) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव 23/4/21